संख्या-406/2018/आ-613/बत्तीस-4-2018-8टी0आर0/2015टी0सी0

प्रेषक,

बीरबल सिंह
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
अनुरक्षण खण्ड-3 (सिविल)
लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-4 लखनऊ : दिनांक-01नवम्बर,2018

विषय- विशेष मरम्मती कार्य मद के अन्तर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-3(सिविल) लोक निर्माण विभाग के निम्नांकित पत्रांक/दिनांक के साथ प्राप्त आगणन के सापेक्ष रू0-68,000/-(रूपये अडसठ हजार मात्र) की धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति व उतनी ही धनराशि निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0	कार्य विवरण/ पत्रांक/दिनांक	स्वीकृत धनराशि
1	टिकैतराय कालोनी स्थित आ0सं0-3/90 में सिविल कार्य कराये जाने के संबंध में । पत्रांक-1550/बी-44/18 दिनांक-11/05/2018	0.68

(1)-प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(2)-कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी तथा कार्यदायी संस्था यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्य निर्धारित समय सीमा अवधि में ही पूर्ण हो जाय।

(3)-स्वीकृत धनराशि आहरित कर धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी।

(4)-स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(5)-प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जाये। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाएगा।

(6)-उक्त स्वीकृति इस आशय से की जा रही है कि प्रश्नगत कार्य हेतु सम्बन्धित खण्ड को पूर्व में कोई भी धनराशि स्वीकृति नहीं की गयी है तथा यह कार्य किसी कार्ययोजना में सम्मिलित नहीं है।

(7)-स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जाये तथा निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेगें।

http://shasanadesh.up.nic.in

(8)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय नियमानुसार वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(9)-आगणन में जिन विशिष्टियों की मदों का प्राविधान किया गया है, कार्य स्थल पर उसी विशिष्टियों की सामग्री का प्रयोग सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(10)-जिस मद/कार्य के लिए उक्त धनराशि स्वीकृत की गयी, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी मद में शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(11)-प्रायोजना हेतु विस्तृत लागत आगणन गठित हो जाने के बाद ही सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा। मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तर दायित्व कार्यदायी संस्था का होगा।

(12)-प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोग केवल उल्लिखित मद के कार्यो में किया जायेगा एवं यदि इन कार्यो की विगत तीन वर्षो पूर्व में (सामूहिक आगणन या एकल आगणन) भी स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है तो उतनी धनराशि रक्षित कर शासन को सूचित किये जाने का उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था को होगा ताकि कार्यो की द्विरावृत्ति न हो।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-59 के *लेखा शीर्षक "2216-आवास-01-सरकारी रिहायशी भवन-106-साधारण पूल आवास-03-सरकारी कर्मचारी/अधिकारी के सरकारी आवास-0303-कालोनियों के सिविल अनुरक्षण कार्य -29-अनुरक्षण" '* के नामे डाला जायेगा। यह आदेश वित्तीय वर्ष 2018-19 के सम्बन्धित मद व कालोनी के अनुरक्षण कार्य के रजिस्ट्र के क्रमांक-30पर दर्ज कर लिया गया है।

भवदीय,
बीरबल सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-आ-613(1)/बत्तीस-4-2018-8टी0आर0/2015टी0सी0 तद् दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- निदेशक/संयुक्त निदेशक, राज्य सम्पत्ति निदेशालय जवाहर भवन, लखनऊ।
3- मुख्य कोषाधिकारी, आदर्श कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- सहायक लेखाधिकारी, राज्य सम्पत्ति निदेशालय जवाहर भवन, लखनऊ।
5- अधीक्षण अभियन्ता,30वां/39वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
6- अधिशासी अभियन्ता, अनुरक्षण खण्ड-1/2/3(सिविल/विद्युत)लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8/राज्य सम्पत्ति अनुभाग-1
8- सम्बन्धित भवन प्रभारी/व्यवस्थाधिकारी/प्रभारी योजना कोष्ठक/ अध्यासी को आगणन की छायाप्रति सहित।
9- गार्डबुक/कम्प्यूटर क्रमांक-11/2018/96

आज्ञा से,
संजय दुबे
मुख्य व्यवस्थाधिकारी (प्रा0)

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।